

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2020/583

दिनांक:-11/9/2020

### आदेश

आवासीय अभियन्ता खण्ड-पंचम, उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, जयपुर के अधीन राजस्थान आवासन मण्डल की सेक्टर-8, प्रताप नगर, सांगानेर आवासीय योजना में नियोजित 21 आवासीय भूखण्डों का निस्तारण नीलामी के माध्यम से अनुशंषा के आधार पर निस्तारण करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.स.	आवासीय भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	आवासीय भूखण्डों का प्रकार
1	85/774	30.00	कॉर्नर
2	85/775	30.00	सामान्य
3	85/776	30.00	सामान्य
4	85/777	30.00	सामान्य
5	85/778	51.72	सामान्य
6	85/779	56.64	सामान्य
7	85/780	30.00	सामान्य
8	85/781	30.00	सामान्य
9	85/782	30.00	कॉर्नर
10	85/783	30.00	(कॉर्नी कॉर) कॉर्नर
11	85/784	30.00	सामान्य
12	85/785	30.00	सामान्य
13	85/786	41.36	सामान्य
14	85/787	50.50	सामान्य
15	85/788	30.00	सामान्य
16	85/789	30.00	कॉर्नर
17	85/790	30.00	कॉर्नर
18	85/791	30.00	सामान्य
19	85/792	38.72	सामान्य
20	85/793	47.25	सामान्य
21	85/794	30.00	कॉर्नर

उपरोक्त वर्णित कुल 21 आवासीय भूखण्डों के संबंध में प्रदत्त उक्त स्वीकृति उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, जयपुर द्वारा की गई अनुशंषा एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा समीक्षा बैठक 05.07.2018 में प्रदत्त निर्देशानुसार मण्डल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 1182 दिनांक 23.03.2017 में निर्धारित शर्तों के अधीन होगी, जो निम्नानुसार है:-

1. आवासीय योजना में आवास/फ्लैट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याची को आवास/फ्लैट/आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हो लम्बित नहीं है।

2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर इस तथ्य का प्रमाणन भी किया जावे कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं हैं। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
5. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।


उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का पैरा संख्या 21/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।



(कश्मी कौर)  
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य सचिव-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य अभियंता-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-पंचम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी सम्बन्धित को मेल करें।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

  
(कश्मी कौर)  
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक (मु.)